पत्रांक-एस0एस0-कर निर्धारण रिटर्न समीक्षा/2010-11/ 292 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संख्या अनुभाग)

दिनांक: लखनऊ:: 15 जून, 2010

समस्त डिप्टी कमिश्नर/कर निर्धारक अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि वैट ऐक्ट 2008 की धारा-27(2)(बी) के अर्न्तगत वार्षिक रिटर्न्स को निर्दिष्ट तिथि पर उक्त अधिनियम की धारा-28 के अर्न्तगत स्वत: कर निर्धारित माना जाना प्राविधानित है। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि अधिकांश कर निर्धारक प्राधिकारियों द्वारा उक्त उपबन्धों के प्राविधानों के अर्न्तगत सम्व्यवहारियों/फर्मो को प्रदत्त उक्त सुविधा को महत्वहीन करने के उद्येश्य से वार्षिक रिटर्न्स के आधार पर सभी व्यापारियों को धारा-28(3) में प्राविधानित नोटिस निर्गत की जा रही है ताकि सभी रिटर्न्स पर अंतिम कर निर्धारण आदेश पारित किये जा सकें तथा कोई भी रिटर्न्स स्वत: कर निर्धारित न माना जा सके। यह प्रवृत्ति नियम विरुद्ध और आपत्तिजनक हे।

2- इस सम्बध में धारा-28(2) के प्राविधानानुसार अन्तिम कर निधारण हेतु ऐसे रिटर्न्स लिये जायेंगे जो कि धारा-27(2)(ए) व (1)(बी)/(1/11/II/III/V/VI) से आच्छादित हो। उक्त के अतिरिक्त धारा -28(1)(बी)(IV) से आच्छादित सम्व्यवहार / फर्म भी अन्तिम कर निर्धारण हेतु सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा भी लिये जायेंगे किन्तु इस श्रेणी के सम्व्यवहारियों / फर्मो के बारे में किसी कर निर्धारण वर्ष हेतु कर निर्धारण आदेश पारित करने के लिये चयन करने हेतु आधारों का उल्लेख करते हुये कर निर्धारक प्राधिकारियों द्वारा सकारण/तार्किक आदेश पारित किया जाना आवश्यक होगा। धारा-28(1)(बी)(IV) में पारित ऐसे आदेश अपीलीय होने के साथ ही सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) के द्वारा प्रशासनिक तौर पर समीक्षा योग्य होंगे। यदि सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा किसी मामले में यह पाया जाता है कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अन्तिम कर निर्धारण हेतु रिटर्न्स के चयन के बारे में लिये गये आधार नियमानुसार यह अभिलेखानुसार उचित नहीं है तो उनके द्वारा ऐसे आदेश विखण्डित/परिमार्जित या पुर्नविचार हेतु प्रत्यावर्तित किये जा सकेंगे। यदि किसी मामले में अपील विचाराधीन है तो ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा ऐसे आदेश के बारे में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

3- अत: कृपया वैट ऐक्ट की धारा-28 का सम्यक् अध्ययन करते हुये धारा-28(1)(बी)(IV) के अर्न्तगत अन्तिम कर निर्धारण हेतु रिटर्न्स का चयन सकारण/तार्किक आदेश पारित करके ही करें। उक्त आदेश के उपरान्त ही कर निर्धारण वादों में नियमानुसार नोटिस निर्गत करके अन्तिम कर निर्धारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकरण में यह पाया गया कि बिना किसी सकारण अथवा तार्किक आदेश के ही अन्तिम कर निर्धारण की नोटिस निर्गत की गयी है तो ऐसे मामलों में कठोर रुख अपनाया जायेगा। कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने खण्ड में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी जो कर निर्धारण कार्य सम्पन्न करते हैं, को भी लिखित रुप से अवगत कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित करायें।

15/6/10

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उ0प्र0,लखनऊ।

क्रमश: पृष्ठ-2 पर